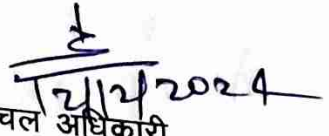


आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा- रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117/H रकबा 1.85 ए० पर श्रीमति शकुन्तला देवी पति बलराम महतों के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 207/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा-रहेया, थाना सं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117/H रकबा 1.85 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमति शकुन्तला देवी पति बलराम महतों के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा-रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 71/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2003-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं० 133/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

ऑफिस अधिकारी
मनम, पलामू।

विषय:- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 103/2011-17 का
ऑफिस प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा
रहेया में जाकर राजस्व कटायात वसूली नकशा का
प्रमाणित करके ऑफिस अग्रीन के सान स्वामीय ऑफिस
किता, ऑफिस में पाया कि डीरमजल्ला ब्यास ब्यास
सं० 53, एल्लोट सं० 117/4 इल्ल रकबा- 1.85 ए० पर सीमरी
शकुल्ला देवी पति बलराम महतो के द्वारा जीम-कोड
किता जा रहा है। उनके द्वारा ऑफिस के दौरान
बंदीबंदी पर्याप्त एवं निर्धारित रसीद प्रस्तुत किया गया है,
जिससे पता चलता है कि अनुसंधान पदाधिकारी के वंदीबंदी
का सं० 207/02-03 के अन्तर्गत 11/07/03 को मौजा-
रहेया ब्यास नं० 345 के अन्तर्गत ब्यास ब्यास सं० 53
एल्लोट सं० 117/4 इल्ल रकबा- 1.85 ए० की बंदीबंदी पर सीमरी
शकुल्ला देवी पति- बलराम महतो के नाम से
हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा- रहेया के सींग पीजी-1
के पेज नं० 71/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2003-12 तक रसीद
निर्धारित है। इस प्रकार इस जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध
प्रमाण नहीं होता है।

अतः इस जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी में
मुद्रा किया जा सकता है।

जन शर्मा
अ. आ. आ. आ.
11/11/2011

11/11/11
RSL + G

विश्वासभाजन
अनिल कुमार
रा० कु० नि०
हल्ला-71/1